**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1482**

**दिनांक 04.03.2020/14, फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**नागरिकता संशोधन विधेयक के बाद नागरिकता**

**1482. श्री इलामारम करीमः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार के पास देश में अवैध प्रवासियों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;**

**(ख) नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के प्रभावी होने के पश्चात कितने लोगों को नागरिकता दिए जाने की संभावना है जिन्हें पूर्व में अवैध प्रवासी माना गया था;**

**(ग) सरकार सीएए में उल्लिखित समुदायों के लोगों से किन-किन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा रखती है ताकि यह सिद्ध हो सके कि वे अपने-अपने देशों से धर्मिक अत्याचार होने के कारण भारत आए हैं; और**

**(घ) राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में कितने लोगों ने नागरिकता गंवाई है और सीएए के लागू होने के पश्चात् उनमें से कितनों को नागरिकता प्राप्त होगी?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) और (ख): अवैध आप्रवासी, वैध यात्रा दस्‍तावेजों के बिना चोरी-छिपे और छलपूर्वक देश में प्रवेश करते हैं। चूंकि, ऐसे अवैध प्रवासी देश में चोरी-छिपे और छलपूर्वक प्रवेश करते हैं, इसलिए देश के विभिन्‍न भागों में रह रहे ऐसे अवैध आप्रवासियों के सटीक आंकड़े एकत्र करना संभव नहीं है।

(ग): नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) दिनांक 10 जनवरी, 2020 से प्रभाव में आया है। केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त नियमों को अधिसूचित करने के बाद इस संशोधन अधिनियम के द्वारा कवर किए गए विदेशी राष्ट्रिक नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन प्रस्‍तुत कर सकते हैं।

(घ): असम के संबंध में “भारतीय राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर (एनआरआईसी)” को दिनांक 31.08.2019 को प्रकाशित किया गया है। कोई भी व्यक्ति, जो अंतिम एनआरआईसी में नामों को शामिल/हटाए जाने के दावों तथा आपत्तियों पर लिए गए निर्णयों के परिणामों से संतुष्ट नहीं होता है, वह एनआरआईसी की कार्यवाहियों के तहत ऐसा आदेश पारित होने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर, विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 के अंतर्गत गठित निर्दिष्‍ट अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष अपील कर सकता है।

**\*\*\*\*\*\***